

## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्री कसनालाल उर्फ कना डांगी  
किस्म मुकदमा :- 88-188 आर.टी.एक्ट

विपक्षी :- श्री छोगालाल जैन वगैरह  
पत्रावली संख्या :- 144/13 (वाद)

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक : 17.03.2020 – पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी एवं स्वयं वादी को निरन्तर आवाजे दिलवाई गई। अनुपस्थित है। बाद दोपहर पुनः अधिवक्ता वादी एवं स्वयं वादी को निरन्तर आवाजे दिलवाई गई। अनुपस्थित है। अतः आज प्रकरण में अधिवक्ता वादी एवं स्वयं वादी के अनुपस्थित रहने से वाद वादी अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया।</p> <p>( शैलेश सुराणा ) R.A.S. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर जिला उदयपुर</p>	

